

11/3/19- कराना चाहते हैं। वकील वादी को सुना गया।  
 वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण में  
 पहाडारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा  
 जुरिवादी रामेश्वरनाथ का भी स्वर्गनाथ हो चुका  
 है इसलिए प्राचीन/वादीला उक्त प्रकरण को  
 आगे नही चलाना चाहती है इसलिए प्रकरण  
 को विरही दिया जावे। वकील प्राचीन/वादीला  
 को सुना गया। उत्तर 50 पत्र बाहर विरही  
 दिए जाने बाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीला  
 का वाद विरही ~~स्वीकार~~ <sup>स्वीकार</sup> दिया जाय है। पत्रावली  
 फौजदारी शुमार होकर नम्बर से कम है।

*M*

सहायक न्यायाधीश  
 (विशेष न्यायाधीश)